

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 1217 / 2020

तारीख रजु 18.03.2020

उनवान

राजस्थान देहली एजुकेशन सोसायटी कृष्णा कॉलोनी हिण्डौन सिटी जरिये सचिव महेश सिंह बैनीवाल पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी लक्ष्मण कॉलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली

---वादी

बनाम

अभिषेक पुत्र सेवकराम वगै० जाति खाती निवासी खेडा तह० हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 13

उपरिस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं


निर्णय

दिनांक 18.08.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन् एक दावा ग्राम खेडा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 959, 958, 956, 958 / 1319, 962 / 1288, 963 / 1289, 960, तकास्मा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। दावा विद्वा करना चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 1217 / 2020 राजस्थान देहली एजुकेशन सोसायटी बनाम अभिषेक आदि विद्वा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर दाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
18/08/2020  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

